[का]र्यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

क	फर्द अहकाम	
	उनवान पदमसिंह पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी बाढ-करसौली तह हिण्डौन — प्रार्थी बनाम 1. जिला कलक्टर करौली 2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन — अप्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र धारा 136 LR. Act 22.8.19 तकिह में अर्ज इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व में पेश कर बतलाया गया कि पुराना खाता नं० 166, जिसका नवीन खाता 181, ग्राम कल्याणपुर सायथा में तथा खाता नं० 124 नवीन खाता नं० 133 ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम खातेदारी में गोड दर्ज कर दिया गया है जबकि खाता नं० 144 नवीन खाता 158 वाके ग्राम कल्याणपुर सायथा में पदमसिंह है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र में प्रार्थी का नाम पदमसिंह पुत्र परभाती जाति जाटव है। इस नाम को दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 7.1.16 को कहा गया किन्तु उन्होंने मना कर दिया गया और सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा गया। अंत में लाचार प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर, प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

दिनांक	फर्द अहकाम
	ने जबाब प्रा० पत्र पेश कर बतलाया गया कि इस प्रबन्ध विभाग की खातेदारी जमाबंदी में संवत २०५६ में अप्रार्थी का नाम छोड़ प्रज परमार्थ है तथा आज भी जमाबंदी में छोड़ प्रज परमार्थ है। जो रिकॉर्ड में दर्ज है। मामला प्रार्थना-पत्र / प्रज खारिज करने का निवेदन किया गया है।
	हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र तथा जमी का अवलोकन करने पर पाया गया कि, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ जमाबंदी सं० २०६७-७० ग्राम [illegible] व ग्राम बाड़ उरोली सं० २०७०-७३ में अन्य सहखातेदार एवं अपने भाईयों के साथ अपना नाम छोड़ दी दर्ज किया हुआ है, जहाँ पर ग्राम कुल्याणपुर [illegible] की जमाबंदी सं० २०७०-७३ के खाता सं० १४४ में प्रज परमार्थ दर्ज है। वहाँ पर अप्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र में सेटेलमेंट संवत १९७९ की जमाबंदी अथवा अन्य रिकॉर्ड नहीं लगाया है। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब में स्पष्ट कर दिया गया है कि सेटेलमेंट के पूर्व रिकॉर्ड यानि जमाबंदी सं० २०५६ में भी अप्रार्थी का नाम छोड़ प्रज परमार्थ दर्ज है, जो राजस्व के कागजात तथा रिकॉर्ड में दर्ज है। जहाँ पर खाता सं० १४४ ग्राम कुल्याणपुर तहसील में अप्रार्थी का नाम प्रज परमार्थ दर्ज है, उक्त कोई प्रमाण-साक्ष्य रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी का नाम छोड़ में छोड़ दे सकता है, और इसी आधार पर अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर विरासत में दर्ज किया जाए, और प्रार्थी नाम भी दर्ज किए गए है, यह रिकॉर्ड में स्पष्ट भी है। ~~अप्रार्थी [illegible]~~ -धारा १३६ राजस्थान का० राजस्व अधिनियम में प्रावधान है कि

क	फर्द अहकाम
	रिकार्ड से नवीन रिकार्ड में इन्द्राजी की जाती है। न कि नवीन नाम की घोषणा, अर्थी अपने प्रार्थना-पत्र को साबित करने में नाकाम रहा है तथा यह प्रार्थना-पत्र राजस्व इन्द्राजी की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अर्थी का प्रार्थना-पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण बाबत धारा 136 रा० भू० राजस्व का खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट बमार तामील बाद दाखील दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। S.D.O हिण्डौन उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

Scanned by CamScanner